न्यायालय सहायक कलक्टर, जसवंतपुरा (जिला–जालोर)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 113/2014

वादीगण/प्रार्थीगण	बनाम	प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण
1. केशाराम पुत्र वेलारामजी 2. गंबाराम पुत्र वेलारामजी 3. तेजाराम पुत्र वेलारामजी 4. दीपराम पुत्र वेलारामजी जातियान रेबारी निवासीगण पूरण तहसील जसवंतपुरा जिला–जालोर		1. राजस्थान सरकार जरिए श्रीमान जिला कलेक्टर, जालोर 2. श्रीमान तहसीलदार साहब जसवंतपुरा

दावा बाबत घोषणात्मक

निर्णय

दिनांक : 13/2/2020

वादी द्वारा उपरोक्त अनवान के प्रकरण में दावा बाबत घोषणात्मक का पेश किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सरहद मौजा पूरण तहसील जसवंतपुरा में आराजी खसरा नं. 978 रकबा 3.33 है0 किस्म बारानी दोयम आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी के पास ही लगतो–लगत वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी आराजी आई हुई है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 978 रकबा 3.33 है0 मौजा पूरण पर वादीगण का करीब 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जाकाश्त है एवं वादीगण की खातेदारी आराजी तथा वादग्रस्त आराजी एक ही चक में स्थित है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का करीब 30 वर्षो से लगातार निरंतर व निर्बाध रूप से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादीगण का उक्त आराजी पर एडवर्स पेजशन हो चुका है। इसलिए वादीगण वादग्रस्त आराजी को अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी के चारों ओर खातेदारी आराजीयान स्थित है एवं बीचों–बीच सिवायचक आराजी दर्ज की गई है, जो विधिसम्मत नही है। अतः सरहद मौजा पूरण तहसील जसवंतपुरा में स्थित आराजी खसरा नं. 978 रकबा 3.33 है0 किस्म बारानी दोयम पर वादीगण का करीब 30 वर्षो से लगातार निर्बाध रूप से कब्जाकाश्त होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण के नाम से खातेदारी घोषित की जावे।

प्रतिवादी तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया।

वादी साक्ष्य में वादी तेजाराम द्वारा दिनांक 27.2.2017 को साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया तथा वादी साक्ष्य हेतू पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी ब्यान कलमबद्ध नहीं करवाये गये। जिससे वादी साक्ष्य दिनांक 31.1.2019 को बंद की गई व पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य हेतू रखी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत रिव्यू पिटीशन के जरिये वादी शहादत रि–ओपन करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.12.2019 को पेश किया गया।चूंकि वादी को साक्ष्य हेतू पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये थे, अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। साथ ही दिनांक 24.12.2019 को प्रार्थना पत्र बाबत तनकीयात कायम करने का वादी अधिवक्ता द्वारा पेश हुआ, जो प्रतिवादी द्वारा जवाब पूर्व में पेश नहीं किया जाने तनकीयत कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नही होने से खारिज किया गया तथा पत्रावली बहस के स्तर पर रखी गई।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, दौराने बहस वादीअधिवक्ता ने कथन किया कि खसरा नं. 978 रकबा 3.33 है0 मौजा पूरण तहसील जसवंतपुरा पर वादीगण का करीब 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जाकाश्त है। वादीगण का उक्त आराजी पर एडवर्स पजेशन हो चुका है, इसलिए वादीगण उक्त आराजी को अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी के चारों ओर खातेदारी आराजीयान स्थित है एवं बीचों–बीच सिवायचक आराजी दर्ज की गई है, जो विधि सम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी वादीगण वादग्रस्त आराजी की खातेदारी पाने के अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर
जसवंतपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मौजा पूरण के खसरा नं. 978 रकबा 3.33 है0 किस्म बारानी दोयम जो राजस्व रेकर्ड में सिवायचक (छः वर्ष या अधिक परती, जुताई हेतु) दर्ज है, पर प्रार्थी विगत 30 वर्षों से काबिज है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर वादग्रस्त आराजी को अपने नाम से घोषित करवाना चाहता है। दिनांक 15.12.2016 से प्रतिवादीगण के जवाब बंद करने के पश्चात वादी को साक्ष्य पेश करने के कई अवसर दिये गये मगर साक्ष्य पेश नही किये । अतः दिनांक 31.1.2019 को वादी साक्ष्य बंद कर दी गई। पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी वादी साक्ष्य पेश करने के अभाव में वादग्रस्त आराजी में एडवर्स पजेशन के आधार पर अपने नाम घोषणा करवाने में असफल रहा। अतः वादी का उक्त वाद बाबत घोषणात्मक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार जसवंतपुरा को भेजी जावें। डिक्री परचा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती पुष्पा कंवर सिसोदिया)
सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा

सहायक कलेक्टर
जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Kanwar Sisodiya
Date: 2020.03.18 16:38:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: